

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 20/01/23

क्रमांक रीडर/2023/245

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दुर्गाराम पुत्र पदमाराम जाति
जाट निवासी रामसर का कुआ
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 उदयसिंह पुत्र जेठमालसिंह वगैराह जाति राजपूत
निवासी तुलछीनगर शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 181/2019

दिनांक- 12/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा तुलछी नगर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1072/938 रकबा 64.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक-20/01/23

क्रमांक :- रीडर/2023/246-49

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उदयसिंह पुत्र जेठमालसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी तुलछी नगर शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर